आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम संख्या 179/13–14

अजय कुमार सिंह वनाम् अभय कुमार सिंह उर्फ बच्चन सिंह

आदेश

31.05.14

आवेदक अजय कुमार, पिता स्व० राधो प्रसाद सिंह साकिन इंजौर, थाना मेहन्दिया जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकारों का प्रख्यापन एवं नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम सिकन्दरपुर धवई, थाना मेहन्दिया जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
40	209	8 डी०	उतर – कुन्दन कुमार,हाजा प्लॉट दक्षिण – अभय सिंह पूरब – अर्जुन कुमार सिंह पश्चिम – रामजी चन्द्रवंशी

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) खाता नं० 40 अन्तर्गत प्लॉट नं० कमशः 205 रकवा 9 डी० वो प्लॉट नं० 209 रकवा 23 डी० कुल रकवा 32 डी० वादी के चाची श्रीमती यशोमती देवी पति श्री प्रेमदास सिंह से वादी की मॉ श्रीमती विन्दा देवी पति श्री राधो प्रसाद सिंह को निबंधित बदलैन से 07.02.74 को प्राप्त हुआ है।

(2) वादी कुल चार फरीकैन हुए तथा उपरोक्त 32 डी० भूमि में वादी को प्लॉट नं० 209 में 8 डी० भूमि हिस्सा में प्राप्त हुआ जिसपर शांतिपूर्वक दखल कब्जा वादी का कायम है तथा भूमि आवासीय परती बेलगान है।

(3) प्रतिवादी बिना कोई आधार के विवादित भूमि 8 डी० के जानिब दक्षिण पूरब कोण पर लगभग 1 डी० भूमि में दावा खोदकर ईंट का दीवार जोड़ने लगे तथा वादी के मना करने पर धमकी दिये कि इस भूमि में मैं मन्दिर बना दूँगा। इस तरह भूमि पर सीमा को लेकर विवाद है।

उपरोक्त तत्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत

करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादी के पिता स्व० राधो प्रसाद सिंह द्वारा वर्षो पूर्व वादी के आवासीय परती भूमि सवा कट्ठा भूमि दक्षिण पूरब कोण पर मंदिर निर्माण करने हेतु सार्वजनिक रूप से दिया गया था,तब से दिये गये भूमि पर मंदिर निर्मित है। उन्हें भूमि की नापी कराने में कोई भी आपत्ति नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर विवादित भूमि की नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री पी०सी०महाराज से करायी गई। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक का 8 डी० भूमि में से 6.5 डी० के लगभग भूमि बचता है जो परती मैदान है। वर्तमान स्थल पर मंदिर बरामदा सहित का रकवा 1.43 डी० है। स्थल पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि हनुमान जी का मूर्ति आवेदक के पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था जिसे प्रथम पक्ष भी स्वीकार करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जिस भूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर वाद लाया गया है,उस भूमि पर मंदिर का निर्माण काफी पूर्व आवेदक के पूर्वजों के समय से ही हो चुका है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

31.05

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31.05

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।